[श्री मनीराम बागड़ी]

वादी तत्वों को मदद देने वाले लोगों से चाहूंगा कि वे देश और अपने सम्प्रदाय पर दया करें और अपने आपको गलत रास्ते से बचाने के लिए प्रायश्चित करें। सरकार तमाशाई न बनी रहे, बल्कि उसे अमल से अमन-चैन और व्यवस्था कायम करनी चाहिए।

(vii) Amelination of Cardition of Cine Workers

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे सिनेमा-कर्मचारियों की स्थिति अत्यंत दयनीय है, क्योंकि वे घोर शोषण के शिकार हो गए हैं। सिनेमा मालिक और सरकार दोनों ही इस उद्योग से पर्याप्त मुनाफा कमा रहे हैं किन्तु श्रमिक वर्ग उपेक्षा और शोषण के कारण उचित मजदूरी अथवा वेतन से वंचित है। मनोरंजन कर का कम से कम पांच प्रतिशत अंश कर्मचारियों के वेतन में जोड़ दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। मृत सिनेमा कर्मचारी के आश्रित को नौकरी देने तथा इन्श्योरेंस की व्यवस्था की जानी चाहिए और श्रम कानून के नियमों का कठोरता के साथ पालन किया जाना चाहिए। कर्मचारियों के वर्तमान वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए, साथ ही बोनस देने और पी० एफ० कटौती योजना लागू करने की व्यवस्था आरंभ की जानी चाहिए। कर्मचारियों से अधिक से अधिक आठ घंटे ही काम लिया जाना चाहिए और प्रतिवर्ष वेतन में नियमित वृद्धि की जानी चाहिए। मेरी सरकार से मांग है कि वह कर्मचारियों को शोषण से मुक्त कराने हेतु शीघ्र प्रभावी कदम उठाए।

(viii) Need to solve problems of Contract labour of food Corporation of India

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के डिपो में ठेके के मजदूरी की प्रथा में निहित चोरी/बरबादी के कारण कारपोरेशन को हर वर्ष अपार घाटा होता रहता है, परन्तु दूसरी ओर कार्पोरेशन के मजदूर शोषण के शिकार बने हुए हैं। एफ० सी० आई० प्रबन्धक अपने स्थायी कर्मचारियों को जो वेतन तथा सुविधा देता है वही सुविधा अपने गोदामों में लगाए गए फूड हैंडलिंग मजदूरों को देने से इंकार करता है। बहुधा ठेकेदार अपने मजदूरों को बिना पगार दिए ही लापता हो जाते हैं। परन्तु प्रबन्धक इनके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही नहीं करता। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 37वें प्रतिवेदन की अनुशंसा और सर्वोच्च न्यायालय के 1978 के फैसले के बावजूद भी एफ० सी० आई० ने ठेकेदारी की प्रथा को जीवित रखा है। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त को, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 1982 के फैसले में प्रतिपादित किया है, प्रबन्धन अवहेलना करता रहता है। एफ० सी० आई० ने असम, बिहार आदि राज्यों मे मजदूरों को सीधे भुगतान की व्यवस्था को, जिसके लिए उन्होंने 1-11-73 को सहमति दिया था अभी तक लागू नहीं किया है। कुछ स्थानों पर ठेकेदारी प्रथा को सिद्धान्ततः समाप्त कर कुछ स्थानों पर कायम रखना अनियमित एवं गैर कानूनी है, इसके विरोध में तथा अपनी मांग मनवाने के लिए एफ० सी० आई० के लगभग दो हजार फूड हैंडलिन मजदूरों ने दो महीने से दिल्ली में धरना दे रखा है। धूप और वर्षा में उनकी दुर्दशा हो रही है। अतः मैं सरकार से अनु-

रोध करता हूं कि उनकी उचित मांगों को मानकर इस आन्दोलन को समाप्त करें, यही मानवता का तकाजा है ।

12.40 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF ARMS (AMENDMENT) ORDINANCE—*Contd.*

And

ARMS (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, we take up the Legislative Business; further discussion of the Statutory Resolution and the Arms (Amendment) Bill. Shri Era Mohan is to continue his speach. 2 hours were alloted for this Bill. 1 hour and 22 minutes have been exh usted. So, we have to complete it in 38 minutes and then we have to take up another Bill.

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali) : Please give me also a chance to speak.

MR. DEPUTY SPEAKER : You must also cooperate with us. If all members cooperate with the Chair, the time can be regulated in a better way, and more members can be accommodated.

SHRI MOOL CHAND DAGA : You give 5 to 10 minutes to each member. What happens is that one member gets half an hour or even more than that and the other does not get a chance.

MR. DEPUTY SPEAKER : There should be some self-discipline. If one member takes more time, the other member loses his chance. That consciousness should be there. Every member must think that every other member also must speak. It is for you to have self-discipline.

SHRI A.K. ROY (Dhanbad) : We should all be given some chance to express our opinion.

MR. DEPUTY SPEAKER : If you want to speak, you give it in writing. You cannot speak on behalf of all of them. Whoever wants to speak should give his name.

Every member shall not take more than 8 to 10 minutes. Mr. Era Mohan, I am very liberal, specially to you.

SHRI A.K. ROY : How much time you will take ?

MR. DEPUTY SPEAKER : Whatever time you want me to take. Shri Era Mohan to continue.

*SHRI ERA MOHAN (Coimbatore) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I would resume my speach by referring to what has been stated by the Hon. Minister of Home Affairs, Shri P.C. Sethi in the Statement of Objects and Reasons :

> "Apart from unlicensed firearms, the involvement of licensed firearms in crime has also been on the increase. The Arms (Amendment) Bill, 1981 was therefore introduced in Parliament in 1981 to provide for greater vigilance on the issue of licences for firearms and sale and transfer of those arms with the objective of ensuring that firearms do not come into possession of anti-social elements."

It is clear that the Home Minister has affirmed both unlicenced/fire arms and licenced firearms are contributing to the increase in the number of crimes. When this is the accepted position, I wonder at the inordinate delay in getting this Bill passed. This Bill was introduced in the Rajya Sabha on 24th August, 1981 and was passed by that Housc on 8th September, 1981. It has come up

*The original speech was delivered in Tamil.